न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3856–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 153/13–14/अपील.

मेट्रोपोलिटिन कमिशरी विनरेवल फादर–हीरा
मसीह आर्थडिकन इंडियन चर्च ट्रस्टी डायसिस
आफ नागपुर चर्च आफ इण्डिया
(सी.आई.पी.बी.सी.) काइस्त चर्च मुरार
सी.पी. कॉलौनी मुरार ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– चर्च आफ इण्डिया सी.आई.पी.बी.सी.
डायसिस आफ नागपुर द्वारा एक्स
विशप श्रीधर इंगले निवासी ई–13 काकडा
अभिनव होम्स भोपाल
2– काइस्त चर्च मुरार द्वारा तथाकथित सेकेट्री
एल फर्ड्स कैम्प पुत्र श्री एस कैम्प
निवासी ज्योतिनगर कुम्हरपुरा मुरार
3– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 46/11–12/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–11–2001 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर को यह निर्देश दिया गया था कि ग्राम पुरानी छावनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 783, 784, 785 एवं 786 के संबंध में जॉच कर विधि अनुसार नोईयत परिवर्तन करने हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजा जाये तथा यदि विद्यालय के लिये ग्राम छावनी में भूमि की आवश्यकता हो तो अन्य भूमि चयन कर भूमि के आरक्षित/आवंटन हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजा जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर तहसीलदार, वृत्त पुरानी छावनी, ग्वालियर से जॉच प्रतिवेदन दिनांक 4–6–13 प्राप्त कर अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 15/12–13/अ–19 (2) दर्ज कर दिनांक 28–9–13 को आदेश पारित कर इण्डियन चर्च ट्रस्टीज चर्च आफ इण्डिया सी.आई.पी.बी.सी. डायसीस आफ नागपुर सी.आई.पी.बी.सी. के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 3–2–14 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण सुनवाई के दौरान चर्च आफ इण्डिया सी.आई.पी.बी.सी. द्वारा चेयरमेन श्रीधर इंगले द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी कमांक 4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–10–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर उन्हें प्रत्यर्थी कमांक 4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 अंतर्गत उक्त अपील में पक्षकार बनाये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र का आवेदक द्वारा विरोध करते हुए आपत्ति की गई कि अनावेदक कमांक 1 विशप श्रीधर इंगले को दिनांक 8–1–2014 को निलंबित कर दिया गया है तथा विशपों की महासभा द्वारा दिनांक 14–1–2014 को अनावेदक कमांक 1

को काइस्त चर्च सी.आई.पी.बी.सी. डायसिसस ऑफ नागपुर के विशप पद से हटा दिया गया है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 का संस्था से कोई संबंध न होने के कारण उन्हैं पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है तथा जिस समय कलेक्टर के न्यायालय में कार्यवाही की गई थी, तब अनावेदक कमांक 1 उक्त संस्था के विशप थे, इसलिए संस्था की ओर से कार्यवाही की गई थी । अब अनावेदक कमांक 1 विशप नहीं होने के कारण उन्हैं उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी तथा आवेदक द्वारा विशप श्रीधर इंगले को हटाये जाने संबंधी सभी दस्तावेज तथा आवेदक को उक्त संस्था का विशप नियुक्त किये जाने का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया तथा अनावेदक कमांक 1 द्वारा संस्था की विशप की हैसियत से नायब तहसीलदार, जबलपुर के न्यायालय में कार्यवाही की गई थी, थी, जिसमें नायब तहसीलदार, जबलपुर द्वारा अनावेदक कमांक 1 को संस्था का विशप न मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया था, वह सभी दस्तावेज आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर अनावेदक कमांक 1 को उक्त अपील में पक्षकार बनाये जाने बावत् जो आदेश पारित किया है, उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(3) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि श्रीधर इंगले को संस्था द्वारा विशप पद से हटा दिया गया है, और उन्हैं संस्था की महासभा द्वारा पुनः नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, तब अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार न करते हुए अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बनाये जाने बावत् जो आदेश पारित किया गया है, निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि रजनिश मैथ्यू चर्च ऑफ इण्डिया सी.आई.पी.बी.सी. डायसिस ऑफ नागपुर के संस्था के महासभा के सदस्य नहीं हैं, और उन्हैं संस्था के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, और इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने संस्था की महासभा के द्वारा अनावेदक कमांक 1 को

दिनांक 14–7–2014 को विशप पद से हटाये जाने के बावजूद भी उन्हें संस्था का विशप मानते हुए अपील में पक्षकार बनाये जाने का जो आदेश पारित किया है, उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि कलेक्टर, ग्वालियर के न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 द्वारा कार्यवाही की गई है, अतः वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था, इसिलए उसे पक्षकार बनाया जाता है, जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश प्रस्तुत रिकार्ड के विपरीत है, क्योंकि कलेक्टर के न्यायालय में जिस समय कार्यवाही की गई थी, वह कार्यवाही संस्था के नाम से की गई थी, न कि श्रीधर इंगले के व्यक्तिगत नाम से, और जिस समय कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाही लंबित थी, वह उक्त संस्था के विशप थे, और उन्होंने संस्था की ओर से कलेक्टर न्यायालय में विशप की हैसियत से कार्यवाही की थी तथा उन्हैं संस्था द्वारा दिनांक 14–7–2014 को विशप पद से हटा देने के कारण अब उन्हैं उक्त संस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहा है ।

(6) अनावेदक कमांक 1 को विशपों की महासभा एवं सीनेट कोर्ट द्वारा विशप पद से हटा दिया गया है, और उक्त हटाये जाने का आदेश अंतिम हो गया है । उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा अथवा विशपों की महासभा एवं सीनेट द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में अनावेदक कमांक 1 उक्त संस्था का विशप नहीं है और आवेदक को विशप नियुक्त किया जाकर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है, यह तर्क आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार किये बगैर अनावेदक कमांक 1 को विशप नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 3 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 को प्रत्यर्थी कमांक 4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने संबंधी जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

कलेक्टर द्वारा अनावेदक कमांक 2 काईस्त चर्च मुरार को सूचना देकर सुनवाई की गई है, और चर्च की ओर से विशप श्रीधर इंगले चेयरमेन चर्च आफ इण्डिया सी.आई.पी.बी.सी. नागपुर ने उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा श्री इंगले को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में उभय पक्ष को अपने–अपने पक्ष समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं । श्रीधर इंगले द्वारा तो शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, परन्तु आवेदक की ओर से अनेक अवसर दिये जाने पर भी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा श्रीधर इंगले को अनावेदक कमांक 4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वर्तमान में श्रीधर इंगले चर्च के विशप पद पर पदस्थ नहीं हैं, इसलिए वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं । चूंकि श्रीधर इंगले द्वारा कलेक्टर के समक्ष पक्ष समर्थन किया गया है, अतः न्यायिक दृष्टि से उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने से आवेदक को किसी प्रकार की कोई क्षति होना परिलक्षित नहीं होती है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर